रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052024-254325
CG-DL-E-24052024-254325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2024/ज्येष्ठ 1, 1946
No. 267] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2024

सा.का.नि. 288(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद), भर्ती नियम, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक उनका संबंध निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) और उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पदों से है उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) और उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-I में है, इन नियमों के उपबंधो के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त या पुनर्नियोजन भी है, के लिए पात्र होंगे।

6. अधिवार्षिता.— इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के मास के अंतिम दिन को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा;

परंतु ऐसा कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के मास के पूर्ववर्ती माह की आखिरी तारीख को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा।

7. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	मदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)	1969* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900– 142400 रु.) ।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रुपए) के स्तर-6, में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा किया है और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :- क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है ; **टिप्पण 1.—** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.—** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **भूतपूर्व सैनिकों के लिए** **प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:** सशस्त्र बल ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रोन्नति के लिए पूर्वोक्त विहित अर्हताएं हैं और जो चिकित्सीय वर्ग शेप 1 में आते हैं ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बन्धन पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुन: नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य; 3. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)	2116* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400– 112400 रु.) ।	चयन।

(6)	(7)
20 और 25 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश या अनुदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलीनीय । **टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने की अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी ।	**(क) आवश्यक अर्हता** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री । **(ख) वांछनीय अर्हता** राष्ट्रीय कैडेट कोर 'ख' या राष्ट्रीय कैडेट कोर 'ग' प्रमाणपत्र या अतिविशिष्ट खेल या एथलीट प्रमाणपत्र । **(ग) भौतिक और चिकित्सीय मानक** भौतिक और चिकित्सीय मानक उप-निरीक्षक पद के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित स्कीम के अनुसार लागू होगा ।

(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति किए जाने वाले और सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । **टिप्पण :** केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का कुशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा ।

(10)
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन । (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 33 प्रतिशत । (iii) गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित की गई स्कीम के अनुसार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा 17 प्रतिशत ।

(11)
प्रोन्नति द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे सहायक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (29,200-92,300 रुपए) के स्तर 5, में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा किया है और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:

केंद्रीय पुलिस संगठन के लिए उप-निरीक्षक के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्कीम गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :-

(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है;

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीयं अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रोन्नति के लिएं पूर्वोक्त विहित अहर्ताएं हैं और जो चिकित्सीय वर्ग शेप 1 में आते हैं ऐसे व्यक्तियों को उसे तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बन्धन पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनः नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)		लागू नहीं होता।
1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	– अध्यक्ष;	
2. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	– सदस्य;	
3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	– सदस्य।	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)		
1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	– अध्यक्ष;	
2. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	– सदस्य;	
3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	– सदस्य।	

[सं. I.12022/05/2021-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2024

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and 'C' Posts), Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the posts of Inspector(General Duty) and Sub- Inspector(General Duty), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector(General Duty) and Sub Inspector(General Duty), in the Indo-Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in the Central Para-Military Forces, be eligible for promotion and appointment and including appointment by deputation or re-employment under the provisions of the rules.

6. **Superannuation.**— Every person appointed under these rules shall retire from service in the afternoon of the last day of month in which he attains the age of sixty years:

Provided that an officer whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (General Duty).	1969* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (44900 – 142400) in the pay matrix.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation. For Ex-servicemen: Deputation or re-employment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
By promotion: From amongst Sub-Inspectors (General Duty) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade, and having successfully completed pre-promotional training course or courses as prescribed by the competent authority from time to time. **Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and having successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations; (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; **Note 1.**— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.**— The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **For Ex-servicemen** **Deputation or re-employment:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and being in medical category SHAPE- I as prescribed above for promotion shall also be considered, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B 'Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 3. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub- Inspector (General Duty).	2116* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (35400 – 112400) in the pay matrix.	Selection.

(6)
Between 20 and 25 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
(a) Essential qualifications: Bachelor's Degree from a recognised University or institute. **(b) Desirable qualifications:** National Cadet Corps 'B' or National Cadet Corps 'C' certificate or outstanding sports or athletic certificates. **(c) Physical and medical standards :** Physical and medical standard shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time for the post of Sub-Inspector.	Not Applicable.	Two years for promotees and direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
(i) fifty per cent. by promotion, failing which by deputation For Ex-servicemen: Deputation or re-employment. (ii) thirty-three per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (iii) seventeen per cent. by selection through Limited Departmental Competitive Examination for the Indo-Tibetan Border Police Force as per the Scheme prescribed by the Ministry of Home Affairs from time to time.

(11)
By promotion : From amongst Assistant Sub-Inspector (General Duty) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the grade, and who having successfully completed pre-promotional training course or courses as prescribed by the competent authority from time to time. **Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and having successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Limited Departmental Competitive Examination :** As per the Scheme for Sub-Inspector's Limited Departmental Competitive Examination for Central Police organization issued by the Ministry of Home Affairs. **By deputation :** Officers of the Central Government or the State Governments or Union territory Administration,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; **Note 1.**— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-servicemen:

Deputation/re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and being in Medical Category SHAPE- I as prescribed above for promotion shall also be considered, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[No. I. 12022/05/2021-Org.]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA